



**State Environment Impact Assessment Authority, M.P.**  
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

**Environmental Planning & Coordination Organization**

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony

Bhopal - 462016

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>

Email : [mpseiaa@gmail.com](mailto:mpseiaa@gmail.com)

Tel.: 0755 - 2466970, 2466859

Fax : 0755 - 2462136

No.: 1919 /SEIAA/22

Date: 28/10/22

संशोधन-पत्र

प्रति,

मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि.  
डॉ. के.व्ही. रेड्डी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कार्पोरेट प्रमुख,  
अहुरा सेंटर, प्रथम तल, 'ए' विंग,  
महाकाली केवस रोड, अंधेरी (ई),  
जिला-मुंबई (महाराष्ट्र)-400093

**विषय:** प्रकरण क्र. 8599/2021 : परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि. डॉ. के.व्ही. रेड्डी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कार्पोरेट प्रमुख, अहुरा सेंटर, प्रथम तल, 'ए' विंग, महाकाली केवस रोड, अंधेरी (ई), जिला-मुंबई (महाराष्ट्र)-400093 द्वारा चूना पत्थर खदान, एरिया 68.91 हेक्टेयर संशोधित एरिया 60.671 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 0.27 मिलियन टन प्रतिवर्ष, ग्राम बुदगवाना, बागवर व घोरहाटोला, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म.प्र.) की पर्यावरणी स्वीकृति में संशोधन के लिये आवेदन।

**संदर्भ:** राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) समिति की 752वीं बैठक दिनांक 15.10.2022 में लिये गये निर्णय अनुसार।

".....प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 531वीं बैठक दिनांक 06.12.2021 की अनुशंसा को मान्य करते प्रकरण को Relist किया जाता है एवं पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन मान्य किया जाता है।

अतः परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि., डॉ. के.व्ही. रेड्डी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कार्पोरेट प्रमुख, अहुरा सेंटर, प्रथम तल, 'ए' विंग, महाकाली केवस रोड, अंधेरी (ई), जिला-मुंबई (महाराष्ट्र)-400093 द्वारा चूना पत्थर खदान, एरिया 60.671 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 0.27 मिलियन टन प्रतिवर्ष, ग्राम बुदगवाना, बागवर व घोरहाटोला, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म.प्र.) के नाम SEAC द्वारा दी गई शर्तों एवं निम्नानुसार अतिरिक्त शर्त पर संशोधित पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13.05.2009 एवं पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण दिनांक 28.08.2017 में निहित समस्त शर्तें एवं वैधता यथावत रहेंगी।

- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
- III. The Proponent shall install Ambient Air Quality Monitoring System at least at three locations as per wind direction and the air quality results shall be submitted to MPPCB and MoEF&CC periodically.
- IV. Mine management should maintain ZLD.
- V. Project Proponent should display the result in front of the main Gate of the mine site; Monitoring of Ambient Air Quality to be carried out based on the 2009 Notification, as amended from time to time by the Central Pollution Control Board.
- VI. The Proponent shall appoint an Occupational Health Specialist for conducting Regular and Periodic medical checkup once in six months including checking for necessary medical care/preventive measures under taken. The recommendations of National Institute for Labour for ensuring good occupational environment for mine workers would also be adopted.
- VII. The activities and budget earmarked for Corporate Environmental Responsibility (CER) shall be as per Ministry's O.M No 22-65/2017-IA. II (M) dated 01.05.2018 and the action plan on the activities proposed under CER shall be submitted to the Regional Office of the Ministry and State Pollution Control Board

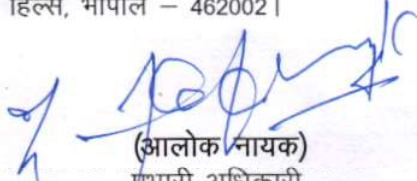
उपरोक्त निर्णयानुसार उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन (खदान का रकबा 68.91 हेक्टेयर के स्थान पर 60.671 हेक्टेयर) को मान्य किया जाता है एवं प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13.05.2009 एवं पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण दिनांक 28.08.2017 में निहित शेष सभी विशिष्ट व साधारण शर्तें यथावत रहेंगी। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है।

  
(श्रीमान् शुक्ला)  
सदस्य सचिव

क्र.. 1920 / SEIAA / 2022 भोपाल  
प्रतिलिपि :-

दिनांक 28/10/22

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला सीधी (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला सीधी (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला सीधी (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

  
(आलोक नायक)  
प्रभारी अधिकारी